दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 02-08-2025

भास्कर खास प्रकरण में दो बेंच में मतभेद आने पर डिवीजन बेंच ने फुल बेंच को भेजा था मामला

बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली या मुआवजे पर फैसला सुरक्षित

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

वर्ष 2015 में कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद राहत को लेकर संवैधानिक सवाल उठा था। दरअसल, हाई कोर्ट में याचिकाओं पर दो अलग-अलग फैसले आए थे। हालांकि तत्कालीन चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एफ के उल्लंघन में की गई छंटनी पर बहाली के आदेश में सेवा वर्षों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सिंगल बेंच के फैसले को फलटते हुए आदेश दिया गया था कि 240 दिन की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने वर्ष 2015 में ने दस वर्ष या उससे अधिक सेवा देने वालों की बहाली का आदेश दिया था, जबकि कम सेवा अवधि वालों को केवल मुआवजा देने की बात कही थी। इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की गई। तर्क दिया गया कि छंटनी यदि वैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन में हुई है, तो सभी प्रभावित कर्मचारियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस मामले में दिए गए फैसले में डिवीजन बेंच ने माना था कि छंटनी धारा 25एफ के तहत अवैध है, तो बहाली के आदेश में कोई भेद नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा था कि सेवा वर्षों के आधार पर मुआवजे की श्रेणियां तय करना न्यायोचित हो सकता है, लेकिन बहाली जैसे संवेदनशील मामले में समानता का सिद्धांत सर्वोपरि रहेगा। बाद में कुछ अन्य समान मामलों में इसी तरह विवाद की स्थित बनी और डिवीजन बेंच ने वर्ष 2016 में मामले को फुल बेंच को रेफर कर दिया था। तब से मामले पर सुनवाई जारी है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की फुल बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इन सवालों पर विचार कर रहा तीन जजों का बेंच

दो अलग- अलग सिंगल बेंच के फैसलों में मतभेद की स्थिति सामने आने के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने संवैधानिक पक्ष पर फैसले के उद्देश्य से मामले को फुल बेंच को रेफर कर दिया था। हाई कोर्ट ने विचार के लिए पांच सवाल तय किए थे।

- न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है? क्या हाईकोर्ट लेबर कोर्ट या इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल के आदेशों में हस्तक्षेप कर सकता है?
- क्या अवैध रूप से निकाले गए कर्मचारी को बहाली का अधिकार है या केवल मुआवजा देना ही न्यायसंगत है?
- यह कैसे निर्धारित हो कि किन मामलों में बहाल होनी चाहिए और किन मामलों में मुआवजा देना चाहिए?
- कर्मचारियों बकाया वेतन का निर्धारण कैसे होना चाहिए कि उन्हें पूरा, आंशिक या वेतन नहीं देना है?
- यदि कर्मचारी ने समय रहते उचित मंच पर अपील नहीं की तो उस देरी का क्या प्रभाव पड़ेगा?